(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 05/2015–2020 दिनांक 12 मई, 2020

विषयः विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों पर परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया–हवाई मार्ग से शिपमेंट हेतु प्रति किलोग्राम आधार पर किए गए दावों के संबंध में।

वाणिज्य विभाग द्वारा दिनांक 27.04.2020 की अधिसूचना सं. 17/3/2018–ईपी (कृषि–IV) जारी किए जाने के परिणामस्वरूप और यथा संशोधित, प्रक्रिया पुस्तक (2015–20) के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा "प्रक्रिया पुस्तक" के अध्याय 7(क) में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

1. दिनांक 27.04.2020 की वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. 17/3/2018–ईपी (कृषि IV) को परिशिष्ट 7(क)क में जोड़ा जाता है।

2. पैरा 7क.03(च) में, प्रथम वाक्य के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाएगाः

   "तथापि, दिनांक 28 अप्रैल, 2020 को अथवा इसके बाद किए गए नए आवेदनों हेतु, हवाई मार्ग द्वारा शिपमेंट के मामले में, दावा किलोग्राम के गुणक में उसके किसी अंश को ध्यान में नहीं रखते हुए किया जाना चाहिए। दिनांक 28 अप्रैल, 2020 से पहले प्रस्तुत किए गए आवेदनों को प्रति टन आधार से प्रति किलोग्राम आधार में संशोधित नहीं किया जा सकता है।"

3. एएनएफ 7क(क) में अनुदेश/दिशानिर्देश की बिंदु सं. (xi) को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

   "हवाई मार्ग से निर्यातित उत्पादों हेतु सहायता निर्यात कार्गो के निवल वजन पर प्रति किलोग्राम माल भाड़े के प्रभारों पर आधारित होगी जिसका परिकलन पूर्ण किलोग्राम के आधार पर इसके किसी अंश को ध्यान में नहीं रखते हुए किया गया हो।"

4. एएनएफ 7(क)क के भाग ख के पैरा 6(ख) का कॉलम (15) और एएनएफ 7(क)क के अनुलग्नक (क) के पैरा 6(ख) का कॉलम (15) हटाया जाता है।

5. एएनएफ 7(क)क के भाग ख के पैरा 2(घोषणा/वचनबद्धता) के बिंदु (ix) और एएनएफ 7(क)क के अनुलग्नक (क) के पैरा 3 के बिंदु (xii) को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

"यदि शिपमेंट समुद्र द्वारा किया गया है दावा फूल कंटेनर लोड (एफसीएल) 20 फीट समतुल्य इकाई (टीईयू) कंटेनरों अथवा दो टीईयू के समतुल्य 40 फीट के कंटेनरों के लिए किया गया है, यदि शिपमेंट

अमित यादव

हवाई मार्ग से किया है, किलोग्राम के गुणकों में (उसके किसी अंश को ध्यान में नहीं रखते हुए किया गया है)।"

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः हवाई मार्ग से निर्यातित उत्पादों हेतु सहायता प्रति टन के बजाय प्रति किलोग्राम पर आधारित होगी। हवाई मार्ग से निर्यातित उत्पादों हेतु प्रति किलोग्राम आधार पर सहायता का अंतरात्मक दर दर्शाते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2019 की अधिसूचना सं. 17/3/2018–ईपी (कृषि IV) के अनुलग्नक 3 को प्रतिस्थापित किया जाता है।

अमित यादव
12/5/2020
(अमित यादव)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/92/180/01/एएम–20/पीसी–VI से जारी)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042020-219217
CG-DL-E-29042020-219217

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 27, 2020/वैशाख 7, 1942
No. 112] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 2020/VAISAKHA 7, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2019

सं. **17/3/2018-ईपी (एग्री IV)**.–केंद्र सरकार ने निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता (*TMA)* नामक एक योजना अधिसूचना संख्या 17/3/2018-EP (Agri.IV) दिनांक 27.02.2019 द्वारा शुरू की थी। अधिसूचना संख्या 17/3/2018-EP (Agri. IV) दिनांक 06.06.2019 द्वारा इस योजना में संशोधन किया गया था। योजना में, निम्नलिखित विवरण अनुसार, और संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:

2. खण्ड 6 (छ) को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(छ) हवाई मार्ग द्वारा निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के लिए सहायता की गणना, निर्यात कार्गो के शुद्ध वजन पर प्रति किलोग्राम भाड़ा शुल्क के आधार पर, किसी भी अंश की अनदेखी करते हुए, पूर्ण किलोग्राम आधार पर की जाएगी।"

3. अनुबंध (3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

अनुबंध (3)

टीएमए के तहत सहायता की अंतर दर (राशि भारतीय रुपए में)

क्षेत्र	प्रति टीईयू राशि (सामान्य)	प्रति टीईयू राशि (रीफर)	विमान से प्रति किलोग्राम राशि
पश्चिमी अफ्रीका	11200	19600	0.84
पूर्वी अफ्रीका	11200	21000	0.84

यूरोपीय संघ	9800	21000	1.12
खाड़ी	8400	14000	0.70
उत्तरी अमेरिका	21000	28700	2.80
आसियान	5600	12600	0.70
रूस और सी.एस.आई.	12600	22400	0.70
सुदूर पूर्व	8400	12250	0.84
ओशियाना	16800	24500	2.80
चीन	0	12600	0.84
दक्षिण अमेरिका	23800	31500	3.50

4. उपरोक्त संशोधन इस अधिसूचना की तारीख के बाद प्रस्तुत किए गए ताजा आवेदनों के लिए ही लागू होंगे। पहले से जमा किए गए आवेदनों को संशोधित नहीं किया जा सकता है।

[फा. सं. 17/3/2018-ई.पी.(एग्री .IV)]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

New Delhi, the 27th April, 2020

No. 17/3/2018-EP (Agri.IV).—The Central Government had introduced a Scheme titled Transport and Marketing Assistance (TMA) for Specified Agriculture Products vide Notification No. 17/3/2018-EP (Agri.IV) dated 27.02.2019. The Scheme was further amended vide Notification No. 17/3/2018-EP (Agri.IV) dated 06.06.2019. It has been decided to further amend the Scheme, as indicated below:

2. Clause 6 (g) shall be substituted with the following:

"(g) Assistance for products exported by air would be based on per kilogram freight charges on net weight of the export cargo, calculated on full kilogram basis, ignoring any fraction thereof."

3. Annexure (3) shall be substituted with the following:

ANNEXURE (3)

Differential rate of assistance under TMA (Amount in Indian Rupees)

Region	Amount Per TEU (Normal)	Amount Per TEU (Reefer)	By Air Amount per kilogram
West Africa	11200	19600	0.84
East Africa	11200	21000	0.84
EU	9800	21000	1.12
Gulf	8400	14000	0.70
North America	21000	28700	2.80
ASEAN	5600	12600	0.70
Russia & CIS	12600	22400	0.70
Far East	8400	12250	0.84
Oceana	16800	24500	2.80
China	0	12600	0.84
South America	23800	31500	3.50

4. The above modifications will be applicable only for the fresh applications, submitted after the date of this notification. The applications already submitted cannot be modified.

[F.No. 17/3/2018-EP (Agri.IV)]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR